विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के 1-मंगलवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा. सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं-11 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
11 (क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सी0ए0जी0 की वर्ष 2023 में पेश रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आबकारी विभाग में कुल कितने रूपयों की अनियमिततायें पायी गयी और इस संबंध में सरकार द्वारा कितने दोषियों पर क्या कार्यवाही हुई है?	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की वर्ष 2023 में प्रस्तुत "31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के राजस्व क्षेत्र पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-4" के अध्याय-5 में आबकारी विभाग से सम्बन्धित रु. 1,276.12 करोड़ की ऑडिट आपत्ति निर्मित की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-वि.अ.प्र.(सि./रे.)285/दस-10(04)/2023 दिनांक 09-08-2023 के अनुसार भारत के महालेखापरीक्षक का उक्त प्रतिवेदन संख्या-4 दिनांक 08-08-2023 को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल/मेज पर रखा गया एवं प्रकाशित हुआ, घोषित किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के उपरोक्त प्रतिवेदन पर मा. लोक लेखा समिति की बैठक दिनांक 13-12-2023 में आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में विचार करते हुए प्रतिवेदन के प्रस्तरों से संबंधित धनराशि रू. 198.03 करोड़ की आपत्तियों को निस्तारित किया गया। इसी क्रम में मा. लोक लेखा समिति की बैठक दिनांक 29-01-2024 में आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार करते हुए प्रश्नगत प्रतिवेदन के प्रस्तर संख्या-5.6 से सम्बन्धित धनराशि रु. 1078.09 करोड़ की आपत्ति को निस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। अतः भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2023 में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-4 के अध्याय-5 में उल्लिखित आबकारी विभाग से सम्बन्धित धनराशि रु. 1276.12 करोड़ की ऑडिट आपत्ति को विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में मा. लोक लेखा समिति द्वारा निस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग।